

संविदा के आधार पर सेवा योजन हेतु विज्ञप्ति

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या:-एम0ई0-2/2015/459 लखनऊ:दिनांक 19 मार्च, 2015 के आदेशानुसार एवं शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेश:-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08 दिनांक 22 जनवरी, 2015 के क्रम में ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू(Walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ में माह के प्रत्येक शुक्रवार(यदि शुक्रवार को राजकीय अवकाश होता है तो अगले कार्यदिवस में) को **मई, 2015** तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व:प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेगे।

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के विभिन्न विभागों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य	प्रवक्ता	एम.डब्लू.ओ.	योग
01	एनाटामी	—	02	—	—	02
02	बायोकेमिस्ट्री विभाग	01	—	01	—	02
03	फिजियोलॉजी	—	01	—	—	01
04	पैथोलॉजी	—	03	—	—	03
05	फोरेन्सिक मेडिसिन	—	01	—	—	01
06	कम्युनिटी मेडिसिन	—	—	01	—	01
07	पीडियाट्रिक्स	04	01	—	—	05
08	आब्स एण्ड गायनोकोलोजी विभाग	—	01	01	01	03
09	एनेस्थीसिया	03	01	—	—	04
10	ट्रांसप्लान्ट मेडिसिन	01	01	—	—	02
11	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	01	—	01	—	02
12	सामान्य मेडिसिन विभाग	01	02	—	—	03
13	टी0बी0 एण्ड चेस्ट विभाग	01	01	—	—	02
14	साइकेट्री विभाग	01	01	—	—	02
15	सामान्य सर्जरी विभाग	—	01	—	—	01
16	रेडियोथिरेपी विभाग	—	01	01	—	02
17	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	—	02	02	—	04
18	एच0एम0ई0 विभाग	—	01	—	—	01
19	डेंटल विभाग	—	01	—	—	01
	कुल योग	13	21	07	01	42

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 90,000/-, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 80,000/-, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 60,000/-, प्रवक्ता का नियत वेतन रू0 50,000/-प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions regulations. 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। डेप्टेस्ट्री की विशिष्टता में भी पी0जी0डिग्री धारक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है।
- संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को पद हेतु निर्गत किए जाने वाले शासनादेश में उल्लिखित एवं निहित शर्तों को पूर्ण करना होगा। संविदा पर प्रवक्ता पद की नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट होगी तथा आचार्य एवं सह आचार्य के पद हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
- चिकित्सा शिक्षक की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।

6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाये लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा ससन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती हैं।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को भेजी जाएगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
13. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती हैं।
15. कम सं० 19 पर अंकित सह आचार्य के पद के रिक्त होने की प्रत्याशा में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगा और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

प्रधानाचार्य,
ला०ला०रा०स्मा०मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्या:—ई०सी०—१/२०१५/२१७८

तददिनांक ६-५-१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-१, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. सूचना पट।



प्रधानाचार्य,
ला०ला०रा०स्मा०मेडिकल कालेज,
मेरठ।

21/5/15
21/5/15
21/5/15